

[2014] 8 एस.सी.आर. 255

बिहार राज्य और अन्य

बनाम

अशोक कुमार सिंह और अन्य

(2013 की आपराधिक अपील सं. 1615)

9 जुलाई, 2014

[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और वी. गोपाला गौड़ा, न्यायमूर्तिगण]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धाराओं 13(1)(डी) और 13(2) - भारतीय दंड विधान, 1860 - धाराओं 420, 465, 466, 467, 471, 477 ए, 201, 109 और 120 बी - प्राथमिकी - वैधता की - उत्तरदाता सं.1-आई.ए.एस. अधिकारी के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं जबकि वह एकीकृत बिहार के संवर्ग में तैनात थे - बिहार सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा उनके खिलाफ जाँच स्थापित की गई - एकीकृत बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजित हुआ - उत्तरदाता सं.1 को झारखंड संवर्ग में आवंटित/स्थानांतरित किया गया - बाद में पटना में बिहार सरकार के सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई - उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में चुनौती दी गई - पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बिहार राज्य द्वारा, बिहार राज्य का बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजन के लिए नियुक्त दिन के काफी बाद स्थापित की गई प्राथमिकी विचारणीय नहीं थी और प्राथमिकी को निरस्त कर दिया - अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का संदर्भ देने में गलती की, बिहार राज्य में प्राथमिकी को विचारणीय नहीं मानने के लिए - प्राथमिकी राज्यों के पुनर्गठन से पहले बिहार राज्य के सतर्कता विभाग द्वारा शुरू की गई जाँच पर आधारित थी - हालांकि, दिनांक 20 दिसंबर, 2000 के परिपत्र और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 76 के साथ पठित

दिनांक 10 जुलाई, 2001 के पत्र के आलोक में, ऐसी जाँच को झारखंड राज्य के सतर्कता विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था जबकि बिहार सरकार के सतर्कता विभाग का उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ जाँच करने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया- उत्तरदाता सं.1 ने एक रिट याचिका दायर करके बिहार सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा की गई जाँच को चुनौती दी थी, और उसके बाद एक अवमानना याचिका भी दायर की, जिसका उच्च न्यायालय ने 8 महीने के भीतर जाँच का निपटारा करने के अनिवार्य आदेश के साथ निपटारा कर दिया - लेकिन चूंकि उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ जाँच उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हुई थी, इसलिए न्यायालय के आदेश के गैर-अनुपालन के आधार पर कार्यवाही निरस्त हो गई - निरस्त हो चुकी सतर्कता जाँच पर आधारित होने के कारण उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी विचारणीय नहीं थी - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 - धारा 76 और 89।

उत्तरदाता सं.1 एकीकृत बिहार के संवर्ग के लिए एक आई.ए.एस. अधिकारी थे और बिहार राज्य वित्तीय निगम ("बी.एस.एफ.सी.") के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे। उत्तरदाता सं.1 और कुछ अन्य के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने एनजीओ बनाए और अवैध परितोषण प्राप्त किया और अभिलेखों से छेड़छाड़ में भी शामिल थे। बिहार सरकार के सतर्कता विभाग ने एक जाँच स्थापित की। उत्तरदाता सं.1 ने उस स्तर पर जाँच को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में एक रिट याचिका दायर की। उसी का कुछ टिप्पणियों के साथ निपटारा किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का पालन न किए जाने पर, उत्तरदाता सं.1 द्वारा पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में एक अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसका 8 महीने के भीतर जाँच का निपटारा करने के अनिवार्य आदेश के साथ निपटारा किया गया था, बशर्ते कि विस्तार प्रदान न किया गया हो।

इस बीच, एकीकृत बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के माध्यम से बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजित हो गया। उत्तरदाता सं.1 को झारखंड संवर्ग में आवंटित/स्थानांतरित किया गया। सतर्कता जाँच में कोई प्रगति न होने के कारण, उत्तरदाता सं.1 ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। झारखंड उच्च न्यायालय ने जाँच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और रिट याचिका खारिज कर दी। आदेश के खिलाफ उत्तरदाता सं.1 द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील भी झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज कर दी गई।

एक विस्तृत जाँच के आधार पर, सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 20 अगस्त, 2002 को धारा 420/465/466/467/471/477(ए)/201/109/120 बी भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ सतर्कता मामला स्थापित किया। प्राथमिकी पटना में बिहार सरकार के सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई थी। उत्तरदाता सं.1 ने पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में एक रिट याचिका दायर करके दिनांक 20 अगस्त, 2002 की आक्षेपित प्राथमिकी को चुनौती दी। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के संदर्भ में, पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बिहार राज्य द्वारा 20 अगस्त, 2002 को, बिहार राज्य का बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजन के लिए नियुक्त दिन के काफी बाद स्थापित की गई प्राथमिकी विचारणीय नहीं थी और प्राथमिकी को निरस्त कर दिया, और इसलिए यह वर्तमान अपील।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. स्वीकार्य रूप से, प्रथम उत्तरदाता ने पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आक्षेपित रिट याचिका में सतर्कता जाँच को चुनौती नहीं दी थी। जो चुनौती दी गई थी वह उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ सतर्कता 2002 की थाना कांड संख्या 7 दिनांक 20 अगस्त, 2002 को धारा 420/465/466/467/471/477(ए)/201/109/120 बी भारतीय

दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत दर्ज प्राथमिकी थी, जो उत्तरदाता सं.1 के संबंध में थी। [कंडिका 21] [268-ए- बी]

1.2. उत्तरदाता सं.1 ने पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पिछली रिट याचिका क्रमांक आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 7680/1997 में सतर्कता जाँच को चुनौती दी थी। उसका निपटारा 25 नवंबर, 1997 को कर दिया गया था। उत्तरदाता सं.1 के लिए उक्त सतर्कता जाँच को एक और रिट याचिका दायर करके चुनौती देने का कोई मौका नहीं था।। [कंडिका 22] [268- सी]

2.1. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 का भाग VIII "सेवाओं के संबंध में प्रावधानों" से संबंधित है। धारा 76 के तहत, केंद्र सरकार को बिहार राज्य सरकार और झारखंड राज्य सरकार को ऐसे निर्देश देने के लिए सशक्त किया गया है जो इसे भाग VIII के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं और राज्य सरकारें ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरणों द्वारा, उस राज्य सरकार को जिसके संवर्ग पर आरोपित अधिकारी विभाजन के बाद तैनात थे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 10 जुलाई, 2001 के पत्र द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि झारखंड राज्य उन अधिकारियों के खिलाफ लंबित सतर्कता जाँच को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा जो झारखंड संवर्ग को आवंटित किए गए हैं जैसा कि इस विभाग के दिनांक 20 दिसंबर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है। [कंडिका 23] [268- डी- जी]

2.2. समय-समय पर जारी किए गए उक्त परिपत्रों से यह स्पष्ट है कि उक्त परिपत्र विभागीय जाँच और सतर्कता जाँच से संबंधित थे और कोई भी परिपत्र एक या अन्य स्थान पर किसी भी राज्य के एक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित नहीं है।

पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 लंबित कार्यवाहियों से संबंधित है। राज्यों के पुनर्गठन (15 नवंबर, 2000) के बाद यहां प्राथमिकी दर्ज करने का लंबित कार्यवाहियों से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए, प्राथमिकी को चुनौती देने के मामले में (प्राथमिकी को निरस्त करना), पुनर्गठन अधिनियम के न तो धारा 76 या धारा 89 के प्रावधान और न ही केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, लागू हैं। उक्त कारण से, उच्च न्यायालय पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का हवाला देते हुए प्राथमिकी को बिहार राज्य में विचारणीय नहीं मानने में गलत था। [कंडिका 24] [268- जी- एच; 269- ए- सी]

3. आरोप 12 मई, 1994 से 1 जून, 1996 की अवधि से संबंधित हैं जब उत्तरदाता सं.1 पटना, बिहार में बी.एस.एफ.सी. के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे, इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से यह सही ढंग से प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि उत्तरदाता सं.1 द्वारा अपराधों का कथित कमीशन बिहार राज्य में हुआ था, जबकि वह राज्य की सेवा कर रहे थे, इसलिए उसके पास उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ कार्यवाही करने और पटना में प्राथमिकी दर्ज करने का क्षेत्राधिकार होगा। [कंडिका 25] [269- सी- डी]।

4.1. हालांकि, दिनांक 20 दिसंबर, 2000 के परिपत्र और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 76 के साथ पठित दिनांक 10 जुलाई, 2001 के पत्र के आलोक में, सतर्कता जाँच जो राज्य के पुनर्गठन यानी 15 नवंबर, 2000 से पहले बिहार राज्य के सतर्कता विभाग द्वारा उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ शुरू की गई थी, उसे झारखंड राज्य के सतर्कता विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उत्तरदाता सं.1 को झारखंड का संवर्ग आवंटित किया गया था और वह झारखंड सरकार के अधीन तैनात थे। इसलिए, उत्तरदाता सं.1 की ओर से यह सही ढंग से तर्क दिया गया है कि इस तथ्य के आलोक में कि उन्हें 15 नवंबर, 2000 से, यानी, जिस तारीख को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, झारखंड राज्य के आई.ए.एस. संवर्ग को आवंटित किया गया है, बिहार सरकार के सतर्कता विभाग का

उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ जाँच करने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है । [कंडिका 28]
[270- सी- ई]

4.2. उत्तरदाता सं.1 ने पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 1997 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 7680 की रिट याचिका दायर करके जाँच को चुनौती दी थी । उक्त मामले का कुछ टिप्पणियों के साथ निपटारा किया गया था। अनुपालन न किए जाने पर, उत्तरदाता सं.1 द्वारा पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 1998 की एम.जे.सी. सं. 1498 की एक अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसका भी 29 नवंबर, 1999 को 8 महीने के भीतर जाँच का निपटारा करने के अनिवार्य आदेश के साथ निपटारा किया गया था, समय-सीमा बढ़ाने की मंजूरी मिलने पर निर्भर। हालांकि, स्वीकार्य रूप से, उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ सतर्कता जाँच उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित 8 महीने के भीतर पूरी नहीं हुई थी। निर्धारित समय के भीतर जाँच पूरी न करने पर, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, उक्त कार्यवाही न्यायालय के आदेश के गैर-अनुपालन के आधार पर निरस्त हो गई। [कंडिका 29, 30] [270- एफ- जी; 272- ए- बी]

4.3. आक्षेपित प्राथमिकी निरस्त हो चुकी सतर्कता जाँच पर आधारित होकर उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ दर्ज की गई थी। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि बिहार राज्य द्वारा की गई सतर्कता जाँच पर आधारित प्राथमिकी ही विचारणीय नहीं थी। [कंडिका 31] [272- सी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2013 की आपराधिक अपील सं. 1615

2002 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 352 में पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दिनांक 07.05.2007 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं के लिए : एस.के. बागड़िया, ए.एस.जी., संदीप सिंह, सुषमा मनचंदा, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, चंदन कुमार।

उत्तरदाताओं के लिए : सुनील कुमार, अरमंद शरण, रोहिणी प्रसाद, अनिल कुमार झा, श्रीकांत एन. तेरदल, सी.डी. सिंह, साक्षी कक्कड़।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति 1. यह अपील बिहार राज्य और अन्य द्वारा 2002 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 352 में पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार द्वारा पारित दिनांक 7 मई, 2007 के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए अभिनिर्धारित किया कि नियुक्त दिन के काफी बाद बिहार राज्य द्वारा 20 अगस्त, 2002 को स्थापित आक्षेपित प्राथमिकी विचारणीय नहीं है और प्राथमिकी को निरस्त कर दिया ।

2. मामले का तथ्यात्मक सारणीकरण इस प्रकार है:

उत्तरदाता सं.1-अशोक कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित हैं। वह एकीकृत बिहार के संवर्ग के लिए एक अधिकारी थे और बिहार राज्य वित्तीय निगम (इसके बाद "बी.एस.एफ.सी." के रूप में संदर्भित) के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे (12 मई, 1994 और 19 जून, 1998 के बीच)। 1 जून, 1996 को उत्तरदाता सं.1 और कुछ अन्य के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें आरोप लगाया गया कि बी.एस.एफ.सी. के प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने और छह लोक सेवकों सहित दस अन्य व्यक्तियों ने दो एनजीओ बनाए और बकाया ऋण वसूली को माफ करके उन्हें दिखाए गए वित्तीय अनुग्रह के बदले में एनजीओ में पैसा जमा करने के लिए बी.एस.एफ.सी. लाभार्थियों/ऋणदाताओं को मजबूर करके अवैध परितोषण प्राप्त किया । उन पर अभिलेखों से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया था। बिहार सरकार के सतर्कता विभाग ने एक जाँच स्थापित की ।

3. उत्तरदाता सं.1 ने उस स्तर पर जाँच को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 1997 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 7680 की एक रिट याचिका दायर की। उसी का कुछ टिप्पणियों के साथ निपटारा किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा की गई

टिप्पणी का पालन न किए जाने पर, उत्तरदाता सं.1 द्वारा पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में एम.जे.सी. सं. 1498/1998 की एक अवमानना याचिका दायर की गई थी। विस्तार मिलने पर निर्भर, इसका 8 महीने के भीतर जाँच का निपटारा करने के अनिवार्य आदेश के साथ निपटारा किया गया था।

4. इस बीच, एकीकृत बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (इसके बाद "पुनर्गठन अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजित हो गया। 15 नवंबर, 2000 को ऐसे विभाजन के लिए नियुक्त दिन के रूप में तय किया गया था। उत्तरदाता सं.1 को झारखंड संवर्ग में आवंटित/स्थानांतरित किया गया। सतर्कता जाँच में कोई प्रगति न होने के कारण, उत्तरदाता सं.1 ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 1573/2001 की याचिका दायर की। उन्होंने बिहार राज्य को उनके खिलाफ जाँच के साथ आगे बढ़ने और उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक आदेश मांगा। उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता (अन्वेषण) द्वारा जारी दिनांक 7 अप्रैल, 2001 के नोटिस को भी निरस्त करने की मांग की, जिसमें उन्हें 24 अप्रैल, 2001 को जाँच में पेश होने के लिए कहा गया था।

5. झारखंड उच्च न्यायालय ने दिनांक 20 अप्रैल, 2001 के आदेश द्वारा जाँच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और रिट याचिका खारिज कर दी। दिनांक 20 अप्रैल, 2001 के आदेश के खिलाफ उत्तरदाता सं.1 द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील भी झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2001 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई।

6. इस बीच, एक विस्तृत जाँच के आधार पर, सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 20 अगस्त, 2002 को धारा 420/465/466/467/471/477(ए)/201/109/120 बी भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत उत्तरदाता सं.1 और छह लोक सेवकों सहित दस अन्य आरोपी व्यक्तियों के

खिलाफ सतर्कता थाना कांड संख्या 7/2002 स्थापित किया। प्राथमिकी पटना में बिहार सरकार के सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई थी।

7. उत्तरदाता सं.1 ने प्राथमिकी को निरस्त/अपास्त करने की प्रार्थना के साथ पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 2002 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 352 की एक रिट याचिका दायर करके उक्त दिनांक 20 अगस्त, 2002 की आक्षेपित प्राथमिकी को चुनौती दी। आगे यह भी प्रार्थना की गई कि बिहार सरकार के सतर्कता विभाग को उनके खिलाफ जाँच न करने या आगे न बढ़ने का निर्देश दिया जाए। सतर्कता विभाग ने इसके संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया।

8. बाद में, एक और सतर्कता थाना कांड संख्या 05/2003 दिनांक 31 मार्च, 2003 को धारा 420/467/468/471/109/120(बी) भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत बी.एफ.एस.सी. के उत्तरदाता सं.1 और चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी मेसर्स लक्ष्मण वायर इंडस्ट्रीज, दीघा घाट, पटना को वित्तीय अनुग्रह देने के लिए पंजीकृत किया गया था।

9. रिट याचिका की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई और दिनांक 7 मई, 2007 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ दर्ज दिनांक 20 अगस्त, 2002 के सतर्कता थाना कांड सं. 7/2002 की प्राथमिकी को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ता-बिहार राज्य को मामले में आगे बढ़ने से रोक दिया ।

10. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्तरदाता सं.1 की ओर से, यह तर्क दिया गया था कि इस तथ्य के आलोक में कि उन्हें 15 नवंबर, 2000 को झारखंड राज्य के आई.ए.एस. संवर्ग को आवंटित किया गया है, यानी जिस तारीख को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, बिहार राज्य के सतर्कता विभाग का उनके खिलाफ मामले की जाँच करने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। कानून के तहत उनके खिलाफ किसी भी सतर्कता मामले का अन्वेषण 15

नवंबर, 2000 को इसके निर्माण के बाद झारखंड राज्य में निहित हो जाएगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, उत्तरदाता सं.1 की ओर से यह तर्क दिया गया था कि बिहार राज्य के सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना है और, इसलिए, यह निरस्त किए जाने योग्य है।

11. अपीलकर्ता-बिहार राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि उत्तरदाता सं.1 द्वारा अपराधों का कथित कमीशन बिहार राज्य के भीतर हुआ था, जबकि उत्तरदाता सं.1 अभी भी बिहार राज्य की सेवा कर रहे थे, इसलिए उसके पास उनके खिलाफ कार्यवाही करने और प्राथमिकी दर्ज करने का क्षेत्राधिकार होगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरदाता सं.1 को झारखंड राज्य को संवर्ग का बाद में आवंटन कोई अंतर नहीं लाएगा क्योंकि कथित अपराध उनके द्वारा बिहार राज्य में सेवा करते समय किए गए हैं। इस आधार पर यह तर्क दिया गया था कि उत्तरदाता सं.1 के प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं थी।

12. विद्वान न्यायाधीश ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ दिया जो 15 नवंबर, 2000 से प्रभावी हुआ। पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का संदर्भ देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में यह पुनर्गठन अधिनियम की धारा 76 है और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 नहीं जो लागू है और उस मामले में बिहार राज्य के सतर्कता विभाग के पास मामले की जाँच करने या प्राथमिकी दर्ज करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

13. इस न्यायालय के समक्ष पक्षों ने उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गए समान अभिवचन लिए हैं।

14. अभिलेखों के अवलोकन पर और पक्षों की ओर से किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम इस मत के हैं कि उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ दिनांक 20 अगस्त, 2002 का थाना कांड सं. 7 विचारणीय था और उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश पटना, बिहार में दर्ज उक्त प्राथमिकी को विचारणीय नहीं मानने में गलत थे।

15. जहाँ तक पुनर्गठन अधिनियम की धारा 76 और धारा 89 के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का संबंध है, जिन पर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने अवलंबन किया था, हमारा मानना है कि वे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं हैं। ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पुनर्गठन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों पर चर्चा करना वांछनीय है।

16. पुनर्गठन अधिनियम की धारा 76 राज्य सरकार को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति से संबंधित है जो इस प्रकार पढ़ती है:

"धारा 76. केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति।- केंद्र सरकार बिहार राज्य सरकार और झारखंड राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकती है जो इसे इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं और राज्य सरकार ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी।"

17. धारा 76 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में केंद्र सरकार ने दिनांक 28 मार्च, 2002 को एक निर्देश जारी किया जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई सतर्कता जाँच या अन्वेषण लंबित है, तो इसे उस राज्य के अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाएगा जिसे वह आवंटित किया गया है। उक्त दिनांक 28 मार्च, 2002 के परिपत्र में ज्ञापन सं. 13013/8/2000-ए.आई.एस. (1) का संदर्भ दिया गया है जो भारत सरकार द्वारा "राज्यों के विभाजन से संबंधित कार्मिक संबंधी मुद्दे" विषय के तहत जारी एक कार्यालय ज्ञापन है। उक्त ज्ञापन का कंडिका 2 इस प्रकार पढ़ता है:

"2 [ए]:-अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के मूल सेवा अभिलेखों के साथ-साथ सी.आर. डॉसियर उस संबंधित राज्य की हिरासत में होने चाहिए जिसे व्यक्तिगत अधिकारी आवंटित है। इसलिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल को आवंटित

अधिकारियों के सेवा अभिलेखों और सी.आर. डॉसियर को इन राज्यों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

[बी] नए 'अवशिष्ट राज्यों' से संबंधित आई.ए.एस. अधिकारियों के संबंध में लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों/जांचों की हिरासत और संचालन अखिल भारतीय सेवाएं [अनुशासन और अपील] नियम, 1969 के नियम 7 [1] [बी] के नीचे के स्पष्टीकरण द्वारा नियंत्रित किया जाना है जो इस प्रकार है:-

स्पष्टीकरण- उप-नियम [1] के खंड [बी] के प्रयोजनों के लिए जहां एक राज्य की सरकार सेवा के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, राज्य के ऐसे पुनर्गठन के बाद पुनर्गठन की स्थिति में। वह सरकार जिसके संवर्ग पर वह ऐसे पुनर्गठन के बाद पदस्थ है, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए और उप-नियम [2] के प्रावधानों के अधीन, उस पर नियम 6 में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति (पेनल्टी) लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।"

18. एक और पत्र सं. 1 विविध 8038/2001 कार्मिक 241/01 द्वारा राज्यों के विभाजन के अनुसरण में ए.आई.एस. अधिकारियों के खिलाफ लंबित कार्यवाहियों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। उक्त पत्र में दिनांक 10 जुलाई, 2001 के पत्र सं. 11018/ 2/2001-ए.आई.एस. [III] का संदर्भ दिया गया है जिसमें निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए गए हैं:-

"[i] झारखंड सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ लंबित सतर्कता जाँच को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी जो झारखंड संवर्ग को आवंटित किए गए हैं जैसा कि इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13013/8/2000-ए.आई.एस.[I] दिनांक 20.12.2000 [अनुलग्नक-20] में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

[ii] झारखंड सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या किसी भी सतर्कता जाँच की अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर कोई अन्य कार्रवाई करने के संबंध में भी सक्षम

प्राधिकारी होगा जो बिहार सरकार द्वारा एक अधिकारी के संबंध में शुरू की गई हो जो अब झारखंड संवर्ग को आवंटित है।"

19. बिहार राज्य की ओर से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यह प्रस्तुत किया गया था कि कथित घटना की तारीखें झारखंड राज्य के निर्माण से पहले की थीं और, इसलिए, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 76 कोई अंतर नहीं लाएगी। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि उत्तरदाता सं.1 द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के कथित घटना स्थल बिहार राज्य के भीतर थे और, इसलिए, बिहार सरकार का सतर्कता विभाग उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं खोएगा। इस संबंध में बिहार राज्य की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 की ओर आकर्षित किया जो इस प्रकार पढ़ती है:

"धारा 89. लंबित कार्यवाहियों का हस्तांतरण-[1] नियुक्त दिन से ठीक पहले एक न्यायालय [उच्च न्यायालय के अलावा], न्यायाधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष लंबित हर कार्यवाही। किसी भी क्षेत्र में जो उस दिन बिहार राज्य के भीतर आता है, यदि वह उस क्षेत्र से संबंधित एक कार्यवाही है जो उस दिन से झारखंड राज्य का क्षेत्र है, उस राज्य की संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी को स्थानांतरित हो जाएगी।

XXX XXX XXX XXX "

20. विद्वान न्यायाधीश ने उक्त प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का अवलोकन करने के बाद इस प्रकार टिप्पणी की:

"जैसा कि ऊपर कहा गया है, झारखंड राज्य के निर्माण के साथ याचिकाकर्ता की सेवाएं 15.11.2000 से प्रभावी रूप से इस राज्य में स्थानांतरित हो गईं। यह स्पष्ट है कि इस तारीख को याचिकाकर्ता के खिलाफ 2002 की सतर्कता थाना कांड सं. 7 के संबंध में सतर्कता जाँच लंबित थी, जिसकी प्राथमिकी [अनुलग्नक 25] दिनांक 20.8.2002 है जो

याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ दायर की गई है। यह दर्शाता है कि तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्वेषण लंबित था और इस संबंध में प्राथमिकी झारखंड राज्य के निर्माण के काफी बाद 20.08.2002 को दर्ज की गई थी। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठेगा वह यह होगा कि क्या आई.ए.एस. संवर्ग के एक अधिकारी के खिलाफ बिहार राज्य द्वारा कोई भी अन्वेषण किया गया होगा जिसकी सेवाएं 15.11.2000 से प्रभावी रूप से झारखंड राज्य को स्थानांतरित/आवंटित की गई थीं, जिसका समापन 20.08.2007 को प्राथमिकी [अनुलग्नक-25] दर्ज करने में हुआ? ऊपर जो देखा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि कानून बिहार सरकार के मंत्रिमंडल [सतर्कता विभाग] को 20.08.2002 को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति नहीं देता है जब वह 15.11.2000 से प्रभावी रूप से पहले ही झारखंड राज्य को आवंटित थे और राज्य के आई.ए.एस. संवर्ग में थे। जाहिर है इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होगा। इससे यह प्रतीत होगा कि 2002 की सतर्कता थाना कांड सं. 7 [अनुलग्नक -25] में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी इस संबंध में जारी किए गए पत्रों और ऊपर उल्लिखित विभिन्न आदेशों के आलोक में पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना थी।"

21. स्वीकार्य रूप से, प्रथम उत्तरदाता ने पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आक्षेपित रिट याचिका में सतर्कता जाँच को चुनौती नहीं दी थी। जो चुनौती दी गई थी वह उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ 2002 की सतर्कता थाना कांड सं. 7 दिनांक 20 अगस्त, 2002 को धारा 420/465/466/467/471/477(ए)/201/109/120 बी भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत दर्ज प्राथमिकी थी, जो उत्तरदाता सं.1 के संबंध में थी।

22. उत्तरदाता सं.1 ने पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पिछली रिट याचिका क्रमांक आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 7680/1997 में सतर्कता जाँच को चुनौती दी

थी। उसका निपटारा 25 नवंबर, 1997 को कर दिया गया था। उत्तरदाता सं.1 के लिए उक्त सतर्कता जाँच को एक और रिट याचिका दायर करके चुनौती देने का कोई अवसर नहीं था।

23. पुनर्गठन अधिनियम का भाग VIII "सेवाओं के संबंध में प्रावधानों" से संबंधित है। धारा 76 के तहत केंद्र सरकार को बिहार राज्य सरकार और झारखंड राज्य सरकार को ऐसे निर्देश देने के लिए सशक्त किया गया है जो इसे भाग VIII के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं और राज्य सरकारें ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरणों द्वारा, जैसा कि ऊपर संदर्भित है, उस राज्य सरकार को जिसके संवर्ग पर आरोपित अधिकारी विभाजन के बाद तैनात थे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 10 जुलाई, 2001 के पत्र द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि झारखंड राज्य उन अधिकारियों के खिलाफ लंबित सतर्कता जाँच को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा जो झारखंड संवर्ग को आवंटित किए गए हैं जैसा कि इस विभाग के दिनांक 20 दिसंबर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

24. समय-समय पर जारी किए गए उक्त परिपत्रों से यह स्पष्ट है कि उक्त परिपत्र विभागीय जाँच और सतर्कता जाँच से संबंधित थे और कोई भी परिपत्र एक या अन्य स्थान पर किसी भी राज्य के एक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित नहीं है। पुनर्गठन अधिनियम लंबित कार्यवाहियों से संबंधित है। राज्यों के पुनर्गठन (15 नवंबर, 2000) के बाद यहां प्राथमिकी दर्ज करने का लंबित कार्यवाहियों से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए, प्राथमिकी को चुनौती देने के मामले में (प्राथमिकी को निरस्त करना), पुनर्गठन अधिनियम के न तो धारा 76 या धारा 89 के प्रावधान और न ही केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है और ऊपर चर्चा की गई है, लागू हैं। उक्त कारण से हम अभिनिर्धारित करते हैं कि उच्च न्यायालय पुनर्गठन

अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का हवाला देते हुए प्राथमिकी को बिहार राज्य में विचारणीय नहीं मानने में गलत था ।

25. आरोप 12 मई, 1994 से 1 जून, 1996 की अवधि से संबंधित हैं जब उत्तरदाता सं.1 पटना, बिहार में बी.एस.एफ.सी. के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे, इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से यह सही ढंग से प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि उत्तरदाता सं.1 द्वारा अपराधों का कथित होना बिहार राज्य में हुआ था, जबकि वह राज्य की सेवा कर रहे थे, इसलिए उसके पास उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ कार्यवाही करने और पटना में प्राथमिकी दर्ज करने का क्षेत्राधिकार होगा।

26. उत्तरदाता सं.1 के विद्वान अधिवक्ता ने भी समय-समय पर पटना उच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्राथमिकी की वैधता का प्रश्न उठाया।

27. धारा 76 के तहत, केंद्र सरकार बिहार पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से बिहार राज्य सरकार और झारखंड राज्य सरकार को ऐसे निर्देश देने के लिए सशक्त है, राज्य सरकार ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। केंद्र सरकार द्वारा जारी पत्र सं. 1 विविध 8038/2001 कार्मिक 241/01 द्वारा राज्यों के विभाजन के अनुसरण में ए.आई.एस. अधिकारियों के खिलाफ लंबित कार्यवाहियों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। उक्त पत्र में दिनांक 10 जुलाई, 2001 के पत्र सं. 11018/ 2/2001-ए.आई.एस. [II] का संदर्भ दिया गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि झारखंड सरकार सक्षम प्राधिकारी होगी उन अधिकारियों के खिलाफ लंबित सतर्कता जाँच को पूरा करने के लिए जो झारखंड संवर्ग को आवंटित किए गए हैं जैसा कि केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 13013/8/2000-ए.आई.एस. [I] दिनांक 20 दिसंबर, 2000 द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। झारखंड सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या किसी भी सतर्कता जाँच की अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर कोई अन्य कार्रवाई करने के संबंध में

भी सक्षम प्राधिकारी होगी जो बिहार सरकार द्वारा एक अधिकारी के संबंध में शुरू की गई हो जो अब झारखंड संवर्ग को आवंटित है।

28. उक्त दिनांक 20 दिसंबर, 2000 के परिपत्र और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 76 के साथ पठित दिनांक 10 जुलाई, 2001 के पत्र के आलोक में, सतर्कता जाँच जो राज्य के पुनर्गठन यानी 15 नवंबर, 2000 से पहले बिहार राज्य के सतर्कता विभाग द्वारा उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ शुरू की गई थी, उसे झारखंड राज्य के सतर्कता विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उत्तरदाता सं.1 को झारखंड का संवर्ग आवंटित किया गया था और वह झारखंड सरकार के अधीन तैनात थे। इसलिए, उत्तरदाता सं.1 की ओर से यह सही ढंग से तर्क दिया गया है कि इस तथ्य के आलोक में कि उन्हें 15 नवंबर, 2000 से, यानी, जिस तारीख को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, झारखंड राज्य के आई.ए.एस. संवर्ग को आवंटित किया गया है, बिहार सरकार के सतर्कता विभाग का उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ जाँच करने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है ।

29. उत्तरदाता सं.1 ने पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 1997 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 7680 की रिट याचिका दायर करके जाँच को चुनौती दी थी। उक्त मामले का कुछ टिप्पणियों के साथ निपटारा किया गया था। अनुपालन न किए जाने पर, उत्तरदाता सं.1 द्वारा पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 1998 की एम.जे.सी. सं. 1498 की एक अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसका भी 29 नवंबर, 1999 को 8 महीने के भीतर जाँच का निपटारा करने के अनिवार्य आदेश के साथ निपटारा किया गया था, बशर्ते विस्तार प्रदान किया गया हो। दिनांक 29 नवंबर, 1999 का आदेश नीचे उद्धृत है:

"न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, श्री अरविंद प्रसाद, सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और श्री एन.के. अग्रवाल, सतर्कता आयुक्त संबंधित फाइल के साथ न्यायालय में उपस्थित हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सतर्कता विभाग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत की, जिसमें मुख्य सचिव ने सतर्कता आयुक्त; याचिकाकर्ता और उसके बाद विधि विभाग से राय प्राप्त करने का आदेश दिया। सतर्कता आयुक्त की राय; याचिकाकर्ता के उत्तर प्राप्त होने के बाद, मामले को विधि विभाग को भेजा गया, जिसने कुछ तथ्यों पर आगे की जाँच के लिए मामले को सतर्कता विभाग को वापस भेजने की सिफारिश की। ऐसे प्रत्यावर्तन के मद्देनजर, सतर्कता विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में आगे की जाँच कर रहा है।

सतर्कता आयुक्त ने कहा कि आगे की जाँच छह महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और प्रतिवेदन उक्त अवधि के भीतर सरकार को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राज्य की ओर से, सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने कहा कि अंतिम निर्णय उसके दो महीने के भीतर सतर्कता विभाग द्वारा राज्य द्वारा लिया जाएगा।

तथ्यों और परिस्थितियों में, विपक्षी के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय, मैं उन्हें आज से आठ महीने के भीतर सतर्कता जाँच पूरी करने और उसका अंतिम आदेश पारित करने के लिए और समय देता हूँ, विफलता पर उक्त कार्यवाही न्यायालय के आदेश के गैर-अनुपालन के आधार पर निरस्त हो जाएगी। हालाँकि, उचित प्राधिकारी के लिए वास्तविक आधार पर अधिक समय मांगना उपलब्ध रहेगा। श्री अरविंद प्रसाद, सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और श्री एन.के. अग्रवाल, सतर्कता आयुक्त की उपस्थिति से छूट दी जाती है।

एम.जे.सी. आवेदन का निपटारा किया जाता है"

30. स्वीकार्य रूप से, उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ सतर्कता जाँच उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित 8 महीने के भीतर पूरी नहीं हुई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार,

निर्धारित समय के भीतर जाँच पूरी न करने पर, उक्त कार्यवाही न्यायालय के आदेश के गैर-अनुपालन के आधार पर निरस्त हो गई।

31. आक्षेपित प्राथमिकी निरस्त हो चुकी सतर्कता जाँच पर आधारित होकर उत्तरदाता सं.1 के खिलाफ दर्ज की गई थी। इसलिए, ऊपर दर्ज निष्कर्ष के आलोक में, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि बिहार राज्य द्वारा की गई सतर्कता जाँच पर आधारित प्राथमिकी ही विचारणीय नहीं थी। पूर्वोक्त कारणों से, हम पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

32. अपील तदनुसार खारिज की जाती है।

विभूति भूषण बोस

अपील खारिज कर दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।